राजस्व अपील संख्या 123 / 2022
अनवान
बलवन्ताराम वगैरा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत हंसादेश लोहावट वगैरा

दिनांक 22 –03–2022

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश क्रमांक / प्र.ग.स. / 2021 / 396 दिनांक 7–2–2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है। उक्त अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । उक्त आदेश के सम्बंध मे एक केवियट श्री रोशनलाल अधिवक्ता ने दिनांक 14.2.2022 को पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील मे केवियटर पक्षकार ही नही है।

वकील अपीलांट श्री जगदीश चन्द्र विश्नोई उपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी तथा केवियटर अधिवक्ता को भी सुना गया। अपीलान्ट अधिवक्ता ने कथन किया कि केवियटर इस अपील मे पक्षकार ही नही है इसलिए उक्त केवियट प्रभावहीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–2–2022 एवं अपील के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर मनन किया, अपीलान्ट अधिवक्ता का मुख्य कथन यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमे पक्षकार बनाये बिना, नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश के जरिये हमारी खातेदारी भूमि मे से रास्ता निकाल दिया जबकि विधि के प्रावधान अनुसार किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि बिना खातेदार की सहमति के तथा उसको सुने बिना खातेदारी भूमि का रकबा कम नही किया जा सकता है तथा यह भी कथन किया कि राज्य सरकार के रास्तो सम्बधी जारी परिपत्र मे भी सुनवाई का अवसर देने के निर्देश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि एवं न्याय संगत नही है।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

इस सम्बध मे अपीलान्ट अधिवक्ता ने प्रथमतः अपीलाधीन आदेश की पालना एवं प्रभाव को रोके जाने का निवेदन किया तथा विकल्प मे यह भी कथन किया कि प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय मे हमे सुनवाई का अवसर देकर, मौके फर्द हमारी उपस्थिति मे तैयार की जाने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया।

हमने पक्षकारो अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश जो ग्राम हंसादेश तहसील लोहावट के सबंध मे पारित किये गये आदेश दिनांक 7–2–2022 एव पत्रावली के साथ प्रस्तुत पत्रादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एव अध्ययन किया। जिसके अनुसार प्रस्तुत प्रकरण मे अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है।

परिणामस्वरूप अपीलान्ट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित आदेश क्रमांक/प्र.ग.स./2021/396 दिनांक 7–2–2022 को निरस्त किये बिना इस आशय के अतिरिक्त निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट एवं हितबद्ध अपीलान्टगण को सुनवाई का नोटिस जारी कर, उसे सुनकर उसकी उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करे। उक्त कार्यवाही एक माह मे सम्पादित करते हुए पक्षकारान के खातेदारी की भूमि मे से रास्ते के सम्बध मे पुनः विधिसमत निर्णय पारित करे। तब तक अपील मे वर्णित अपीलान्टगण के खातेदारी के खसरा न0 1408 की भूमि पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही करे। इस अतिरिक्त निर्देश के साथ उक्त अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर